

03.02.2018

5248

आदर्श उपविधियां

ग्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्यादित

पता —————

उपविधि क्रमांक 1 : नाम एवं कार्यक्षेत्र

1. इस संस्था का नाम – प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्यादित

2. संस्था का कार्यक्षेत्र ग्राम ————— विकास खण्ड —————
जिला ————— तक सीमित रहेगा।

3. संस्था का पंजीकृत पता ग्राम ————— तहसील —————
जिला —————

नोट:— पंजीकृत कार्यालय के पता में कोई परिवर्तन होने की दशा में ऐसे परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर इसकी सूचना पंजीयक, समिति के सदस्यों तथा वित्त पोषक बैंक/एजेन्सी/संस्था को डाक व्हारा दी जाएगी।

उपविधि क्रमांक 2 – परिभाषायें:

इन उपविधियों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

- 2.1 “अधिनियम” से तात्पर्य मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 से है।
- 2.2 नियम से तात्पर्य मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 से है।
- 2.3 सहकारी वर्ष से तात्पर्य प्रतिवर्ष 31 मार्च का समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से है।
- 2.4 धारा से तात्पर्य मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा से है।
- 2.5 “उपविधियों” से तात्पर्य अधिनियमों के अंतर्गत इस संस्था की पंजीकृत की हुई उपविधियों से हैं तथा जो तत्समय प्रवृत्त हो, और उनके अंतर्गत उपविधियों का कोई पंजीकृत संशोधन आता है।
- 2.6 “पंजीयक” से तात्पर्य धारा-3 के अधीन नियुक्त किया गया पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश से हैं, अथवा उस अधिकारी से जिसे संस्था के संबंध में पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शासन व्हारा प्राधिकृत किया गया है।
- 2.7 “लाभांश से तात्पर्य किसी सदस्य को उसके व्हारा धारित अंशों के मूल्य के अनुपालन में संस्था के लाभ में से चुकाई गई रकम से है।
- 2.8 “सदस्य” से तात्पर्य इस संस्था के रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन में प्रवर्तक सदस्य तथा इन उपविधियों, नियम, अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये सदस्य जो संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों एवं जिसे इन उपविधियों के अनुसार सदस्यता प्रदान कर दी गई हों।
- 2.9 “अध्यक्ष” से तात्पर्य सहकारी अधिनियम/नियम तथा संस्था की उपविधियों अनुसार नामांकित/ निर्वाचित सभापति या चेयरमेन से हैं।

- 2.10 "कार्यक्षेत्र" से तात्पर्य है वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जा सकती है।
- 2.11 "समिति" से तात्पर्य धारा 48 के अधीन गठित किया गया "संचालक मण्डल" प्रबंधकारिणी चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हों।
- 2.12 "प्रबंधक/कर्मचारी" से तात्पर्य संस्था के कार्य संचालन के लिए प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त सेवारत अधिकारी/कर्मचारी से है।
- 2.13 "राज्य शासन" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है।
- 2.14 "सेवा नियम" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 55(1) के अंतर्गत पंजीयक द्वारा प्रसारित सेवा नियमों से है।
- 2.15 संस्था से तात्पर्य उपविधि क्रमांक-1 में वर्णित संस्था से है।
- 2.16 "प्रतिनिधि" से तात्पर्य है संस्था का ऐसा सदस्य जो संस्था का प्रतिनिधित्व अन्य संस्था में काम करने के लिए प्रबंध समिति द्वारा निर्वाचित किया गया है।
- 2.17 "विनिर्दिष्ट पद" से तात्पर्य है अध्यक्ष/सभापति एवं उपाध्यक्ष का पद। ऐसी परिभाषाएँ जो इन उपविधियों में वर्णित नहीं हैं, उनकी व्याख्या अधिनियम एवं नियम में दी गई परिभाषाओं से की जावेगी।
- 2.18 निर्वाचन प्राधिकारी से अभिप्रेत है धारा 57-ग की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी।
- 2.19 निर्वाचन अधिकारी से तात्पर्य कोई ऐसा व्यक्ति जिसे निर्वाचन प्राधिकारी ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियुक्त किया हो, जो कि संस्था के निर्वाचन हेतु अधिनियम एवं नियम के अधीन निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करे।
- 2.20 अंकेक्षक से अभिप्रेत हैं अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत सहकारी सोसायटी की संपरीक्षा के लिए प्राधिकृत संपरीक्षक/चार्टड अकाउन्टेंट फर्म।

उपविधि क्रमांक 3 : उद्देश्य:-

संस्था का उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- 3.1.1 संस्था के उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच पारस्परिक सहयोग, लोकतंत्र एवं स्वावलम्बन पर आधारित प्रभावकारी वित्तीय सेवा/सुविधा के माध्यम से अपने सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर में सुधार लाना है।
- 3.1.2 संस्था सदस्यों के बीच पारस्परिक सहायता, मितव्ययिता एवं स्वावलम्बन के भाव पैदा करेगी तथा अपने सदस्यों के हित-साधन के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करेगी। समिति स्वयं तथा उस क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों द्वारा किये जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करेगी तथा आवश्यकतानुसार उन संगठनों के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगी।

ପାଇଁର ପାଇଁର ପାଇଁର

የመ በዚህ አገልግሎት የሚከተሉ ስምምነት ተወስኝ ይችላል / የሚከተሉ ስምምነት ተወስኝ ይችላል የሚከተሉ ስምምነት ተወስኝ ይችላል

1184

አዲስ አበባ ቤት ደንብ ከተ ስጋፍ በተመልከት ተወስኗል፡፡ ይህንን በተመልከት ተወስኗል፡፡

上

| በዚህ የሚከተሉት ነው

| 168

ପାଇଁ କୁ ହେଲାଏ ତାହାର କାନ୍ଦିଲ ଏଥିରେ ମହିଳାଙ୍ଗଳିର କାନ୍ଦିଲ ହେଲାଏ

11. Եղանակ կույտ ծառ եկամուտ հայ լիճ

በኢትዮጵያ በአቀፍነት ከዚህ ቀን ተደርጓል፡፡

| Աւագ Եկեղի լփ բար գույնինեց լրաւ

ተቀባይ-ተቀ ቁ ማድናው ከተደ ስለ መሰረት የዚህ ቅጽናዎች ተከራክሱበት ይታረዋል በዚህ

1184 Page 211

የታክ ቁናታሁን ተብ የሚገኘ ቁናታሁን ማረጋገጫ በዚህ ስልጣን ተሸጋግጹ እና ምርጥ ቁናታሁን ተብ

விட்டதை விடுகிறேன் என்று கீழே படித்து விடுவது முன்னால் அது நிர்ணயம் ஆகும்.

፩. አዲስአበባ ቁ. የዕለታዊ ሪፐብሊክ የሚመለከት መሆኑን በመመለከት የሚገልጻ ይችላል

iv. የተለያዩ ቁጥር በቃል የሚከተሉ ስም

| በዚህ አገልግሎት ይ በአገልግሎት ማ ምንም አውቶክስ ጥሩ

የኅ ሂኅዎች ከተማዎች ዘዴ ተተክ-ከተክ ከዚህን ጥርጓሜ በጥቅምት መ-መልካምነት ተስፋል

| 11-14

ከብረኩለ ጋዜጣ-ከብረኩለ እና ስራውን ይመስኝ ተቀባዩምንጂ ተኩሉ ማረጋገጫ ተቋሙት ነው!!

| ԱՐԵՎ ԵՐԵՎԱՆ

1. ተደርጋው ከም ማስተካከል የዚህን በታች ተፈጻሚ ነው

- xv. कार्यक्षेत्र के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर दबाव समूहों के रूप में कार्य करने के लिए सदस्यों को सहायता प्रदान करना।
- xvi. विभिन्न सरकारी एवं सहकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और उससे जुड़ी अन्य बातों के बारे में सदस्यों में जागरूकता विकसित करना तथा सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना।
- xvii. सदस्यों के परिवारों की प्रगति एवं विकास को रोकने वाले विभिन्न मुद्दों की पहचान कर इन मुद्दों का प्रभावी ढंग से सामाधान निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करना।
- xviii. दिव्यांग व्यक्ति तथा वृद्ध महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें स्वयं सहायता समूहों की तरह सेवाएं प्रदान करना।
- xix. ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुसारिक या साधक हो तथा अन्त्योदय में सहायक हों।
- xx. समूह के सदस्यों द्वारा किये जा रहे कार्य यथा अग्रबद्धता 'निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, मसाला निर्माण, अचार निर्माण, जरी कार्य या इसी तरह के अन्य कार्य जिससे संस्था के सदस्य आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें।

3.1.3 संस्था का मुख्य उद्देश्य अपने कार्यक्षेत्र के सदस्यों तथा समान्यतः उनके परिवार एवं संस्था की सभी आर्थिक दशाओं, उनमें छिपे गुणों, कौशल्य, स्वभाव तथा स्थानीय स्थितियों के अनुकूल उत्पादक कार्यों को हाथ में लकर उत्पादन करना ताकि सुधार लाना होगा, ताकि मजबूत, गतिशील स्वावलम्बित ग्राम अर्थ के अतिरिक्त ग्राम स्वावलम्बन के लक्ष्य की ओर अग्रसर, संस्था के सदस्य स्वावलम्बित बनकर समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त कर सकें।

3.1.4 उक्त वर्णित उददश्यों को प्राप्ति हेतु सदस्यों को संगठन एवं सेवा से संबंधित क्रयाओं जो उन्हें लाभदायक उत्पादन, स्वरोजगार के अवसर एवं वृद्धिगत आय उपलब्ध करा, ले निम्न कार्य/गतिविधियां अपने हाथ में ले सकेंगी। कच्चे रेशम के धागों के उत्पादन हेतु जारी ककून की बुनाई, ककून उत्पादन के लिए कीड़े, मूगा शहतूत का पालन मूगा—कड़ों आदि के खाद्य एवं पालन हेतु शहतूत एवं अरण्डी के पौधों की नर्सरी एवं व्यावसायिक पौधों का रोपण।

3.1.5 हस्तकरघा बुनाई, दर्जीगिरी स्कूल गणवेश, अस्पताल के परिधान (ड्रेस) एवं अन्य आवश्यक वस्तुएँ यथा बिस्तर की चादरे, तकिए, तकियों के बवर, टेबिल-क्लाथ, पर्द आदि, जेल कर्मियों अन्य वदीधारी कर्मियों के एवं पुलिस के यूनिफार्म (गणवेश), ड्रेस, बंगलों, सर्किट हाऊसों एवं राज्य शासन शासकीय उपक्रमों को लगने वाले कपड़े, बुनाई कढ़ाई एवं काशीदाकारी के कार्य, कपड़े पर हाथ से छपाई के ब्लाक, धागों की रंगाई एवं प्रक्रिया, कारपेट, दरी शाल मफलर बनाना, सिले कपड़े परिधान, फैशन डिजाइन आदि तैयार करना।

3.1.6 बागवानी (फलदार वृक्षों का रोपण जैसे अनार, पपीता, नारियल, सुपारी, आम, कटहल, पाइनेपल एवं अन्य फलदार पेड़ आदि) फल सबिजयों का उत्पादन एवं विपणन एवं फलों का प्रसंस्करण और पैकिंग करना।

3.1.7 सामाजिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खान-पान (केटरिंग) सेवाएं करना।

3.1.8 कम्प्यूटर एवं संबंधित अन्य उपकरणों के व्यवसाय तभी उनका रख-रखाव आदि।

3.1.9 राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत संचालित मिशनों के साक्षरतां कार्यक्रमों को हाथ में लेना और साक्षरता के लिए कार्य करना।

3.1.10 रिक्त भूमि पर जल्दी बढ़ने वाली लकड़ी के पौधों का रोपण, वन विभाग की सहायता से करना।

3.1.11 आवश्यकता के अनुसार शाखायें डिपों, विक्रय दुकान, शो-रूम, प्रदर्शन प्रक्षेत्र, सामान्य वर्कशॉप, वर्कशेड खोलना।

उपविधि क्रमांक 3-2 –सदस्यों को प्रदत्त सेवाएं— “संस्था” अपने सदस्यों को जो भी सेवाएं प्रदान करेंगी उससे संस्था सदस्य लाभान्वित होंगे। ”

3.2.1 तकनीकी सेवा

3.2.2 वित्तीय सेवा

3.2.3 सामाजिक सेवा

3.2.4 विपणन सेवा

3.2.5 अभिसरण सेवा

3.2.6 विधिक सेवा

3.2.6 उत्पादन सेवा

1. नियमित बचत सुविधा, जो मृत्यु होने पर या सदस्यता समाप्ति या किसी कारण से निकासी की जा सकेगी।

2. स्वैच्छिक बचत सुविधा, जो किसी भी समय निकासी की जा सकेगी।

3. ऋण सुविधा।

4. ऋण/आच्छादान (Loan Cover) सुविधा सदस्य की मृत्यु होने पर।

5. वित्तीय परामर्शदायी सुविधा।

6. सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधा।

7. वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण सुविधा।

8. उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था करना।

9. उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आधारभूत व्यवस्था करना।

10. सदस्यों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहयोग देकर उनके बचत, उत्पादन तथा उनके आर्थिक लाभ में बढ़ोत्तरी लाना।
11. अपने सदस्यों के उत्पाद को उचित मूल्य प्राप्त कराने के लिए व्यापार करना। व्यापार के लिए कार्यशील पूँजी जुटाने हेतु बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क करना।
12. सदस्यों की क्षमता में वृद्धि तथा प्रतिभाग करने के लिए हर संभव प्रयास करना।
13. राज्य एवं केन्द्र शासन के विभागों एवं संस्थाओं से संपर्क कर अपने लक्ष्य अनुसार सेवाएं सदस्यों को उपलब्ध कराना।
14. आजीविका के तहत संस्था सदस्यों द्वारा किये जाने वाले कार्य हेतु संस्था भौतिक, वित्तीय, तकनीकी, विपणन संबंधी सेवायें प्रदान करेंगी।

उपविधि क्रमांक 4—सहकारिता के सिद्धांत:

सहकारी संस्थायें निम्नलिखित सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर संस्था कार्य करेगी :—

4.1 स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता:—

सहकारी संस्थायें ऐसे व्यक्तियों के लिए मुक्त स्वैच्छिक संगठन है, जो उनकी सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ और सदस्यता के उत्तरदायित्व को बिना किसी लिंग, सामाजिक, जातीय, राजनैतिक या धार्मिक भेदभाव के रजामंदी से स्वीकार करते हैं।

4.2 सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण:—

सहकारी संस्थायें अपने उन सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन है, जो उसकी नीतियों के निर्धारण और विनिश्चयों के संधारण में सक्रियता से भाग लेते हैं। प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित पुरुष तथा स्त्रियां सदस्यता के प्रति जवाबदार हैं। प्राथमिक सहकारी संस्थायें के सदस्यों को एक सदस्य एक मत का समान मताधिकार प्राप्त है तथा सहकारी संस्थायें अन्य स्तरों पर भी लोकतांत्रिक रीति में संगठित होती हैं।

4.3 सदस्यों की आर्थिक भागीदारी:—

सदस्य अपनी सहकारी संस्थाओं की पूँजी में अभिदाय करते हैं तथा उसका लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रण करते हैं। उक्त पूँजी का कम से कम एक भाग सहकारी संस्थायें की सार्वजनिक संपत्ति होती है। सदस्य प्रायः सदस्यता की शर्त के रूप में अभिदत्त पूँजी पर सीमित प्रतिकर, यदि कोई हो, प्राप्त करते हैं।

፩፪፭፻፲፭ የፌዴራል ቤት ማስታወሻ አገልግሎት

- 5.4 ቁጥር ፫ ፳፭ ዓመት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት
5.3 ይህ ደንብ የ 300 ዓመት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት 1000/-
5.2 ውክ ደንብ 3000 ዓመት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት 100/-
5.1 ውክ ደንብ 3000 ዓመት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት 600 ወጪ

፩፪፭፻፲፭ - ፩፪፭፻፲፭

፩፪፭፻፲፭ የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት
፩፪፭፻፲፭ የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት
፩፪፭፻፲፭ - ፩፪፭፻፲፭

፩፪፭፻፲፭ የሚከተሉት ደንብ መሬት

፩፪፭፻፲፭ የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት
፩፪፭፻፲፭ የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት
፩፪፭፻፲፭ - ፩፪፭፻፲፭

፩፪፭፻፲፭ የሚከተሉት ደንብ መሬት

፩፪፭፻፲፭ የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት
፩፪፭፻፲፭ የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት
፩፪፭፻፲፭ የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት
፩፪፭፻፲፭ - ፩፪፭፻፲፭

፩፪፭፻፲፭, የሚከተሉት ደንብ መሬት

፩፪፭፻፲፭ የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት
፩፪፭፻፲፭ የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት
፩፪፭፻፲፭ የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት
፩፪፭፻፲፭ - ፩፪፭፻፲፭

፩፪፭፻፲፭ የሚከተሉት ደንብ መሬት

፩፪፭፻፲፭ የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት
፩፪፭፻፲፭ የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት
፩፪፭፻፲፭ የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት ደንብ መሬት የሚከተሉት
፩፪፭፻፲፭ - ፩፪፭፻፲፭

- 5.5 संस्था सदस्यों द्वारा संस्था में अंश पूँजी स्वयं की बचत से देय होगा, जो कि व्यापार परिपालन नियमानुसार बढ़ते कम में होगा। बढ़ी हुई अंश पूँजी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंग गें सदस्यों द्वारा संस्था में जमा करनी होगी।
- 5.6 संस्था से जुड़े प्रत्येक सदस्य को अनिवार्यतः एक अंश लेना होगा।
- 5.7 समस्त सदस्यों को एक समान अंश की पात्रता होगी, किसी भी सदस्य की कुल अंश पूँजी से 5 प्रतिशत से अधिक, अंशपूँजी नहीं होनी चाहिये।
- 5.8 संस्था से सदस्यता समाप्त होने पर सदस्यों को अंश पूँजी वापस की जावेगी।
- 5.9 संस्था के कोष में उपलब्ध निधि का उपयोग उपविधि के अनुसार संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही की जावेगी।
- 5.10 संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रम हेतु आवश्यक पूँजी की व्यवस्था एवं संसाधन निम्नानुसार प्राप्त किया जावेगा:-
- सदस्य प्रवेश शुल्क
 - अनिवार्य अमानत
 - अंश पूँजी
 - अनुदान
 - बचत
 - जमा
 - प्रोत्साहन निधि आदि के रूप में संग्रहित कर सकते हैं।

उपविधि क्रमांक 6:-

- 6.1 - सदस्यता: निम्नलिखित महिला संस्था के सदस्य बनने के पात्र होंगी
- 6.1.1 सामान्य मानसिक स्थिति की महिला हो, जो कि स्व-सहायता समूहों की सदस्य हो।
- 6.1.2 कम से कम 6 माह पूर्व गठित समूहों की सदस्य हो एवं संस्था की सदस्यता के योग्य हो।
- 6.1.3 जो संस्था के कार्यक्षेत्र के अन्दर म०प्र० सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत समान सेवा/व्यवसाय वाली प्राथमिक सहकारी संस्था का सदस्य न हों या ऐसी समिति को देयता का पूरा भुगतान कर उस समिति के सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया हो।
- 6.1.4 संस्था के नियमों का पालन, सहकारी अधिनियम/नियम का पालन, सदस्य के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिये वर्तमान एवं भविष्य दोनों में प्रतिबद्ध होने के संबंध में लिखित सहमति पत्र प्रस्तुत करना।
- 6.1.5 जो संस्था का कम से कम एक अंश (शेयर) खरीदता हो।

6.2 कोई महिला संस्था की सदस्यता से अयोग्य होगी, यदि:-

6.2.1 उपरोक्त योग्यताओं को पूर्ण न करने वाले समूह के सदस्य संस्था की सदस्यता हेतु अयोग्य माने जावेंगे।

6.2.2 जो मानसिक रूप से स्वस्थ्य न हो,

6.2.3 उसने दिवालिया (इन्सोलवेन्ट) न्याय निर्भित होने के लिए आवेदन किया हो या वह प्रमाणित दिवालिया (इन्सोलवेन्ट) हो।

6.2.4 उसे किसी भी अपराध के लिए सजा हुई हो अथवा ऐसे अपराध के लिए सजा हुई हो, जो नैतिक आचरण को अन्तर्ग्रस्त करती हो और वह सजा रद्द नहीं की गई हो या ऐसा अपराध क्षमा नहीं कर दिया गया हो। यह अयोग्यता सजा की समाप्ति से 6 वर्ष के बाद लागू नहीं होगी।

6.2.5 सहकारी संस्था के द्वारा किये गये कार्य को एवं गतिविधि में भाग लेने के लिए सक्षम हों।

6.2.6 समूहों के उददेश्यों के विरुद्ध कार्य अथवा व्यापार करने वाला हो।

6.3 सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

6.3.1 सदस्यता प्राप्ति हेतु पात्र संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र ब में दस्तावेज एवं अपने समूहों का ठहराव प्रस्ताव संस्था के सचिव को प्रस्तुत करना।

6.3.2 संस्था सचिव द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव आगामी कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।

6.3.3 संस्था की उपविधियों एवं व्यापार परिपालन नियमों के अंतर्गत कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त निर्णय हेतु उक्त प्रस्ताव साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करना।

6.4 सदस्य बने रहने की शर्तेः-

6.4.1 संस्था के कार्यक्षेत्र में निवासरत होना।

6.4.2 संस्था की सदस्यता हेतु अनिवार्य समिति की उप-विधियों में उल्लेखित शर्तों एवं व्यापार परिपालन नियमों का पालन करना होगा।

6.4.3 कोई भी ऐसा कृत्य न करें, जिससे:-

- संस्था की छबि पर विपरीत प्रभाव पड़े।

- आर्थिक व्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित हो।

- संस्था के कार्यों के निर्वहन में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

6.4.4 संस्था द्वारा सौंपा गया कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

6.4.5 सदस्य को प्रतिवर्ष संस्था में रु. 20/- अनिवार्य अमानत के रूप में राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।

6.5. सदस्यता परित्याग / सदस्यता समाप्ति:-

6.5.1 सदस्यता परित्याग करने वाले सदस्य को संस्था के नियमानुसार अपने समस्त देनदारी का निराकरण करना होगा और त्थाग पत्र देने के पूर्व संस्था में समूह के खाते की जिम्मेदारियाँ एवं संस्था के जमानत पर अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण अथवा किसी भी उत्तरदायित्व को त्याग पत्र देने के 90 दिवस के पूर्व निपटारा करना अनिवार्य होगा।

6.5.2 संस्था की सदस्यता नियमों में उल्लेखित उपबंधों के अनुसार संस्था पर सदस्यता अवधि में आई किसी भी समस्या/दावा अथवा विधिक कार्यवाही होने की स्थिति में सदस्यता त्याग के उपरांत भी अधिनियम के अनुसार संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी रहेगी।

6.6. किसी सदस्य को सदस्यता से बाहर करने के प्रावधान:-

6.6.1 संस्था की उपविधियों एवं व्यापार परिचालन नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर

6.6.2 संस्था की साधारण सभा और कार्यकारिणी के प्रस्तावों पर अमल न करने पर।

6.6.3 संस्था में सदस्य रहने के उपरांत भी, समान सेवाएं देने वाली किसी अन्य पंजीकृत संस्था में सदस्यता लेने पर कार्यकारिणी समिति उक्त सदस्य को सदस्यता से बाहर कर सकती है।

6.6.4 कंडिका क. 6.6.3 अनुसार कार्यवाही किये गये सदस्य को साधारण सभा के समक्ष अपील करने का अवसर होगा एवं साधारण सभा का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।

6.6.5 वार्षिक साधारण सभा की लगातार तीन बैठकों में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित होने पर।

6.7 सदस्यता समाप्त होने पर खाते का निपटारा (Settlement):-

6.7.1 संस्था द्वारा सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने पर समस्त लेन-देन का निपटारा यथा बचत, बचत पर ब्याज, ऋण, ऋण पर ब्याज, अंश पूँजी, अंश पूँजी पर लाभांश आदि किया जायेगा।

6.7.2 कंडिका 6.7.1 के निपटारे से पूर्व समूह का अदेय प्रमाण पत्र (नो-ड्रूज) प्राप्त होना चाहिए।

6.7.3 सदस्यता के दौरान समिति को हुई क्षति/हानि के संदर्भ में समूह द्वारा स्वयं के उत्तरदायित्व का निर्वहन करना एवं स्वयं का अंश जमा करना होगा।

6.7.4 संस्था से सदस्यता समाप्त होने पर, हटाये जाने पर अथवा रद्द किये जाने की स्थिति में संबंधित समूह एवं सदस्य द्वारा संस्था से एक वर्ष तक किसी भी प्रकार के लेन-देन संबंधी दावा प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था संबंधित समूह के खाते की राशि जब्त करने के लिये अधिकृत होगी।

उपविधि क्रमांक 7— सदस्यों के अधिकार:

- 7.1 सदस्य जो कि संस्था के सदस्य हैं को स्वयं द्वारा दी गयी राशि की रसीद एवं बॉण्ड प्राप्त कर सकेंगे।
- 7.2 वार्षिक साधारण सभा की बैठक में स्वयं सम्मिलित हो सकेंगे।
- 7.3 निर्वाचन हेतु प्रथम सदस्यता सूची के प्रकाशन से 120 दिवस पूर्व की सदस्यता होने पर सदस्यों को मताधिकार एवं 180 दिवस पूर्व की सदस्यता होने पर निर्वाचन प्रक्रिया में अभ्यर्थी होने की पात्रता होगी।
- 7.4 संस्था के सदस्यों को निर्धारित शुल्क जमा कर नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने पर संस्था की उपविधियों, अकेक्षण प्रतिवेदन, जांच प्रतिवेदन, विशेष प्रतिवेदन, मतदाता सूची, सदस्य अपने से संबंधित समस्त दस्तावेज को अवलोकन करने की पात्रता होगी।
- 7.5 सदस्यों को संस्था की समस्त सेवाओं का उपयोग करने की पात्रता होगी।
- 7.6 सदस्य संस्था के बचत पर ब्याज, अंश पूँजी पर लाभांश एवं किसी भी गतिविधि से होने वाले लाभ के हिस्सेदार होंगे।

उपविधि क्रमांक 8— संस्था के मुख्य कार्यक्रम:

- 8.1 संस्था अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वयं, अपनी आनुबंधिक संस्थाओं, अन्य सहकारी संस्थाओं, आर्थिक संस्थाओं, विकास संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं, तकनीकी संस्थाओं एवं वाणिज्यिक संस्थाओं से मिलकर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी एवं सदस्यों को सेवायें उपलब्ध करायेगी।
- 8.2 सदस्यों के विकास मंच के रूप में कार्य करेगी।
- 8.3 शासन की गरीबोन्मुखी योजनाओं/नीतियों के तैयार किये जाने में संस्था सकारात्मक भूमिका निभायेगी।
- 8.4 संस्था में समय-समय पर सदस्यों हेतु आने वाले संसाधन एवं अन्य लाभ वास्तविक हितग्राहियों को प्राप्त हों इस हेतु दबाव समूह के रूप में कार्य करेगी।
- 8.5 संस्था अपने सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास (व्यवसायिक) के लिये कार्य करेगी।
- 8.6 सदस्यों को आवश्यकता अनुरूप विभिन्न आर्थिक सेवाएं उपलब्ध करायेगी।

መሬታ ተቋማ ትርጓሜ - 10 ውስጥ ማረጋገጫ

1 ስምምነት ተቋማ ገዢ ትርጓሜ የሚከተሉ ይህን ተቋማ

ውጭ ተቋማ የሚከተሉ/ የቅርቡ ተቋማ እንደሆነው ተቋማ የሚከተሉ

1 ተቋማ የሚከተሉ-ሁን ከዚያ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

ውጭ ተቋማ የሚከተሉ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

2/3 የሚከተሉ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

የ ተቋማ የሚከተሉ 08 የሚከተሉ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

1 የሚከተሉ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

ውጭ ተቋማ ከዚያ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

1 ስምምነት ተቋማ ተቋማ

ውጭ ተቋማ/ ተቋማ ስምምነት ተቋማ/ ተቋማ ተቋማ

አገልግሎት ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

1 ስምምነት ተቋማ

ውጭ ተቋማ 03 ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

1 ስምምነት ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

ውጭ ተቋማ 30 ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

1 የሚከተሉ ተቋማ ተቋማ

1 የሚከተሉ

አገልግሎት ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

አገልግሎት ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

-ኩራብ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ - 6 ውስጥ ማረጋገጫ

1 ስምምነት ተቋማ

ውጭ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

1 ስምምነት ተቋማ

አገልግሎት ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

1 ስምምነት

አገልግሎት ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

1 ስምምነት ተቋማ

አገልግሎት ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

1 ስምምነት ተቋማ ተቋማ ተቋማ

- वार्षिक बैठक

- विशेष बैठक

10.1.1 साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार किया जाना अनिवार्य होगा।

10.1.2 वार्षिक साधारण सभा की बैठक वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 माह के अन्दर अनिवार्यतः की जायेगी।

10.1.3 वार्षिक साधारण सभा की बैठक में संस्था के सदस्यों के अतिरिक्त पंजीयक या उनके प्रतिनिधि, सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि, बैंक प्रतिनिधि आजीविका मिशन के अधिकारी एवं अन्य विकास कार्य में सहयोग करने वाले विभागों के प्रतिनिधियों को आमत्रित किया जाना।

उपविधि क्रमांक 11 – साधारण सभा की विशेष बैठक:

कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में साधारण सभा की विशेष बैठक कर सकती है:-

- रजिस्ट्रार द्वारा कार्यकारिणी समिति को निर्देशित करने पर।
 - पत्र 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित आवेदन करने पर।
 - संस्था के प्रबंध कार्यकारिणी/संचालक मण्डल द्वारा निर्णय करने पर।
 - निर्वाचन हेतु विशेष साधारण सभा की बैठक की आवश्यकता होने पर,
- कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त स्थिति में आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर विशेष साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया जावेगा।
- विशेष बैठक में चर्चा उन्हीं बिन्दुओं पर होगी, जिस हेतु वह बैठक विशेष तौर पर आयोजित की गई हो।

उपविधि क्रमांक 12 – साधारण सभा बैठक की सूचना व कोरम:

कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार साधारण सभा की बैठक के 30 दिवस पूर्व कार्यकारिणी समिति के सचिव द्वारा बैठक की नोटिस जारी की जावेगी। यह नोटिस डाक द्वारा पते पर अथवा व्यक्तिगत तौर पर तथा आवश्यकता होने पर स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से सदस्यों को दी जा सकती है। आकस्मिक स्थिति में भी 30 दिवस से कम अवधि में भी बैठक आहूत की जा सकती है, किन्तु 14 दिवस पूर्व सूचना जारी होना अनिवार्य है। बैठक का कोरम कुल सदस्यों के 2/3 या उससे अधिक होगा।

किसी भी सभा में तब तक कोई काम काज नहीं किया जायेगा जब तक कि सभा का काम काज प्रारम्भ होने के समय गणपूर्ति न हों।

13.17 የኢትዮጵያ ማኅበ ተተክክለ ይህ አንቀጽ

13.16 የካብረታዊ ቤት ከተማ

13.15 ሰለተ^ለ ከለ^ለ የለ^ለ በለ^ለ የለ^ለ በለ^ለ

13.13 ବିଦ୍ୟାରୁପ ଶିକ୍ଷେତ୍ରରୁ

13.12 գիլիկ տիպակի ց բար ու դիլիկի

13.11 ከተማ በትኩረቱ ማስታወሻ ይችላል

13..10 የኢትዮጵያዊ ማርያምዎች, አደባይ ብሔርሳ - ቤታዊ ማርያምዎች

13-9 መተዳደሪያ ከኩር ተቀብሱ ይችላል

۱۳۰۸

1 ተሸቃዋኑ ተቆስተዋል ቅዱ ከተማዎች ተከራክር ይረዳ ስለ ከተማዎች ተስፋዋል ተስፋዋል /

133-6 የሚቀመጥ አገልግሎት ቅዱ አገልግሎት ይመለከታል

卷之三

| ተዕዥነን ገዢ ተዕዥነ

13.4. ԳԼՈՒԽ ՉԱՇԱՆԻԴԻ ՏԵՐԵՎԱ ՉՈՒՐԻ ԿԱ ՃՐՈՎԱ

| ተወስኩል ከና ተከለው ፈቃ ጥንቃናቁ ፈቃ ቀጥሬ ወጪዎች | ፳፻፲፭

13.2 Math

13.1 אדרת

କେନ୍ଦ୍ରୀ ପିଲାର୍ ମହିଳା—୧୫ କାନ୍ତିକ ଜାଗାରେ

ପ୍ରକାଶକ ମହିନା ପତ୍ର

தாய்த் து. கெந்தி எனிட்டு 1944 ம் ஆண்டு 7 ம் வயதில் பி.

ବ୍ୟାକରଣ କି କି ପରମାନନ୍ଦ କି ତଥାନ ବ୍ୟାକରଣ କି କି କି କି

| በዚህንም ነገሱ ገዢ ተጠናክሯል ይህንም በዚህንም ነገሱ ገዢ|

ՀՅՈՒՅՆ ԱՅ ՏԵ ԽԱՐԱՄԻ ՃԻ ԱՇԽԵՑԱԾ ԼԿ ԽԵՎԱԿԱ ԼԿ ԽԵՎԱԿԱ ԸՆԴ

1 ስምምነት ተቋ ተቋ ተቋ እና ተቋ ተቋ ተቋ ተቋ ተቋ ተቋ ተቋ

፲፻፭፯ ቀመን በዚህ የሚከተሉት ነው፡፡ የሚከተሉት ስም በዚህ የሚከተሉት ስም በዚህ

ቁ ተወስኗል በዚህን ማዘረም የቅርቡ የዚህን የቅርቡ ተወስኗል በዚህን ማዘረም የቅርቡ

ନୀତି କୁ ନିର୍ମାଣ ମାତ୍ର ହେଉଥିଲା ଏହା କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଏହା କିମ୍ବା

Digitized by srujanika@gmail.com

18. अस्ति विद्युत् शब्दः शब्दः शब्दः शब्दः शब्दः शब्दः शब्दः शब्दः

- 13.18 कार्यालय भवन निर्माण हेतु अनुमानित लागत का अनुमोदन।
- 13.19 अन्य संस्थाओं में सदस्यता हेतु समीक्षा व अनुमोदन।
- 13.20 कर्मचारियों की सेवा शर्तों का अनुमोदन।
- 13.21 अध्यक्ष की अनुमति से यदि कोई अन्य विषय हो तो संबंधित पर चर्चा।
- 13.22 सहकारी अधिनियम की धारा 49(7) के अनुरूप कार्यकारिणी समिति के सदस्यों उनके कुटुम्ब के सदस्यों के तथा निकट के नातेदार के नाम पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान बकाया उधारो या अग्रिमो आदि के ब्यौरे का विवरण प्रस्तुत करना।

उपविधि क्रमांक 14 सदस्यों का मताधिकार:

प्रत्येक सदस्य को समान व एक मताधिकार होगा।

उपविधि क्रमांक 15— साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

- 15.1 सहकारी संस्था में अंतिम प्राधिकार सदस्यों का साधारण सभा में निहित होगा।
- 15.2 साधारण सभा में लिये गये निर्णयों पर समीक्षा व अनुमोदन।
- 15.3 पूर्व बैठक के प्रस्ताव का अनुमोदन एवं प्रस्ताव अमल पर समीक्षा।
- 15.4 उपविधियों में संशोधन।
- 15.5. व्यापार परिचालन नियम व संशोधन।
- 15.6. मानव संसाधन नीति निर्माण व समीक्षा।
- 15.7 अन्य संस्थाओं से समन्वय एवं परस्पर लेन—देन की समीक्षा।
- 15.8 अनुबंधित संस्थाओं की स्थापना व समीक्षा।
- 15.9 वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन लेखा का अनुमोदन।
- 15.10 पदाधिकारियों, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के कार्यों की समीक्षा।
- 15.11 अंकेक्षकों का चयन व उनका शुल्क भुगतान हेतु निर्णय।
- 15.12 उपसमितियों का निर्माण व उनके कार्यों की समीक्षा।
- 15.13 आवश्यकतानुसार आरक्षित कोष की स्थापना, उक्त कोष उपयोग एवं वास्तविक विनियोग की समीक्षा।
- 15.14. लाभ का विभाजन एवं लाभांश की घोषणा।
- 15.15 घाटा प्रबंधन।
- 15.16 रजिस्ट्रार के प्रेषित प्रतिवेदन की समीक्षा व अनुमोदन।
- 15.17 अधिनियमानुसार निर्देशित अन्य कार्यों का अनुमोदन।
- 15.18 संस्था के कार्यकारिणी सदस्यों का निर्वाचन।

한국 철도기술협회는 90년대에 철도기술 분야에서 활동하는 전문가들이 모여 창립되었으며, 1991년에는 대한민국 철도기술협회로 명칭을 바꾸어 활동하고 있다.

4. զանազան տեսչությունների մեջ կա լավ ընդ այս պահին

ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ପାଇଁ

3. አንድ በቃል የሚከተሉ ስም የሚከተሉ ስም የሚከተሉ ስም የሚከተሉ ስም

ପ୍ରକାଶ ପାତା ପାତା ପାତା

2. **զԵ ԴԻԵՐԻ ԳՐԱՎԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

1 (4,12)

1. የዚህ በቃል ስራ እንደሚከተሉ የሚከተሉት ደንብ በመሆኑ ተስፋይ ይችላል

Հայ Փետրվար 17-ի հիմքին

የተከለከለ ቅዱስ ተከለከለ ከ ከዚ ቅዱስ ዘመን ቅዱስ ተከለከለ ከ ከዚ ቅዱስ

በዚህ አገልግሎት ተደርጓል፡፡ ሆኖም የሚከተሉት የሚመለከት የሚከተሉት የሚመለከት የሚከተሉት የሚመለከት

1412

ବ୍ୟାକ୍ ପରିଚୟ ପରିଚୟ ଏହା ପରିଚୟ ନାହିଁ ଏ ବ୍ୟାକ୍ ଏ ବ୍ୟାକ୍ ଏହା ବ୍ୟାକ୍ ଏହା ବ୍ୟାକ୍

16.6 አዴሬን ተ ማተሚያ ተከራክር የሚያስቀርብ ነው እና ተመልከት ይችላል

। ପିଲ୍ଲା ପିଲ୍ଲା ମାନ୍ଦୁଳିର କଥା ହେଉଥିଲା ଏହା -

ବ୍ୟାପାରକ ପ୍ରକାଶନ ମର୍କେ -

ପ୍ରାକ୍ତରୁଣ ପଦ୍ମରୁଣ ଏ ଟାଇନ୍ ଫର୍ମିଲ୍ଡିମ୍ବାଳ୍ -

ዕዳገስ ከደረሰ ተችሬ - ማቅረቢያ ተመዝግበው አጭና / ቅጽ፩፪ -

16.5 ቅዱቃቀልኩ ከተከተል ተ ቤት ዘመን ጥሩታ ይገባል ይገባል

164 دیکھ لیوں ایسا ہے اسے کہاں گھٹے کہاں گھٹے

16.3 quadrilateral triangle rectangle square

16-2 ቁጥር 16-11 አንቀጽ 11 የዚህንን

191 | የኢትዮ-ቃድር አገልግሎት ተካክ ቤትዎች | የዚህ ስልጣኝነት ተቀብቷል በቁጥር ተካክ ቤትዎች

፲፭፻፱ ቤት የኢትዮጵያ አዲስ ትናቁርዎች - ፭፻፲፭ ብሔንታዊ ስነዕና

15.20 34144141 43(1) 341554 43(1) 341554 43(1) 341554 43(1) 341554 43(1)

፩፻፲፭

15.19 ተከታታይ የዚህ ስልክ አገልግሎት እና ተከታታይ የዚህ ስልክ አገልግሎት

6. म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अनुसार संचालक मण्डल में पद धारण करने के लिए अयोग्य न हो।
7. दिवालिया या पागल न हो।

उपविधि क्रमांक 18. संचालक/कार्यकारिणी सदस्य पद पर रहने की शर्त:

- 18.1 जब तक वह संचालक नियुक्त होने के लिए उपविधि क्रमांक 17 में लिखित अनिवार्य योग्यतायें पूर्ण करता हो।
- 18.2 जब तक वह भारतीय संविदा अधिनियम अनुसार अनुबंध करने योग्य हो।
- 18.3 जब तक उसे निर्वाचित होने के बाद में किसी अयोग्यता के धारण करने के कारण संचालक पद से हटा न दिया गया हो।
- 18.4 बिना अनुमति के कार्यकारिणी समिति की निरंतर 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर पदाधिकारी को पद से हटा दिया जावेगा।
- 18.5 बिना पूर्व लिखित सूचना के किसी भी साधारण सभा की बैठक में अनुपस्थिति रहने अथवा अधिनियम के अनुसार दण्डित हुये सदस्य, पदाधिकारी पद पर रहने के लिये अयोग्य होंगे।
- 18.6 संस्था में किसी लाभ के पद पर न हो।

उपविधि क्रमांक 19— अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को हटाने एवं रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया:

संचालक मण्डल के किसी भी सदस्य/पदाधिकारियों को संचालक मण्डल से हटाने के लिए उनके विरुद्ध लाये गये प्रस्ताव संचालक मण्डल अपनी बैठक में मत देने के लिए उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के बहुमत से ऐसे संचालक या अन्य पदाधिकारियों को हटाने की अनुशंसा करने का प्रस्ताव पास कर सकेगा तथा संबंधित सदस्यों/पदाधिकारियों को ऐसा प्रस्ताव पास करने के उपरांत न्यूनतम 15 दिन की समयावधि में जवाब देने का अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस, व्यक्तिगत रूप से पावती लेकर अथवा पंजीकृत डाक से अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपलब्धता पर उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रेषित किया जा सकेगा। अध्यक्ष के स्वयं ऐसे प्रकरण में शामिल होने पर उपाध्यक्ष ऐसे कारण बताओ सूचना पत्र पर हस्ताक्षर कर सकेगा। उक्त नियत अवधि के बीतने के उपरांत अथवा समयावधि में प्राप्त जवाब को संतोषप्रद न पाये जाने पर संचालक मण्डल द्वारा अपनी अगली बैठक में मत देने के लिए उपस्थित हुए कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के बहुमत से ऐसे संचालक/पदाधिकारी को संचालक मण्डल से हटाने का निर्णय पारित किया जा सकेगा। संचालक मण्डल के किसी भी संचालक/पदाधिकारी को हटाने के लिए जारी नोटिस में उन कारणों को स्पष्टतः उल्लेख किया जावेगा, जिन पर विचार उपरांत संचालक मण्डल द्वारा उसे हटाये जाने की अनुशंसा की गई हो। ऐसे किसी भी पदाधिकारी/संचालक को हटाये जाने का निर्णय होने पर

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर (उसकी मुद्रा सील) से जारी सूचना पत्र से संबंधित को व्यक्तिगत रूप से पावती लेकर या पंजीकृत डाक से प्रेषित कर निर्णय से अवगत कराया जा सकेगा। संबंधित संचालक ऐसे किसी भी निर्णय के विरुद्ध, पंजीयक के पास, उसे हटाये जाने के निर्णय के आदेश के जारी होने के दिनांक से अधिकतम 30 दिनों के अंदर अपील कर सकेगा।

19-2 रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया:

संचालक मण्डल के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु यदि संचालक मण्डल की अवधि उसकी मूल अवधि से आधे से कम शेष है तो सदस्यों के उसी वर्ग से, जिसके कि संबंध में आकस्मिक रिक्त उद्भूत हुई है, सहयोजन द्वारा अथवा यदि संचालक मण्डल की शेष अवधि आधे से अधिक है तो नाम निर्देशन/निर्वाचन द्वारा आकस्मिक रिक्त भर सकेगा। प्रत्येक दशा में रिक्त पदों की भर्ती हेतु बैठक की अध्यक्षता निर्वाचित अधिकारी करेगा।

उपविधि क्रमांक 20— कार्यकारिणी समिति की बैठक :

20.1 निर्धारित तिथि पर माह में एक बार सचिव/प्रबंधक द्वारा कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की जावेगी।

20.2 कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में विशेष बैठक कर सकती हैः—

- रजिस्ट्रार द्वारा कार्यकारिणी समिति को निर्देशित करने पर
- पात्र 1/3 कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा लिखित आवेदन करने पर
- संस्था के कुल सदस्य में से 1/10 सदस्यों के लिखित आवेदन करने पर,
- आजीविका विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देशित किये जाने पर।

कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त स्थिति में आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर बैठक का आयोजन किया जावेगा। विशेष बैठक में चर्चा उन्हीं बिन्दुओं पर होगी, जिस हेतु वह बैठक विशेष तौर पर आयोजित की गई हो।

20.3 कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए कोरम — कुल कार्यकारिणी समिति सदस्यों के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति होगी।

20.4 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का मताधिकार — प्रत्येक कार्यकारिणी समिति के सदस्य को एक ही मताधिकार होगा।

उपविधि क्रमांक-21 कार्यकारिणी समिति की भूमिका एवं दायित्वः—

21.1 प्रशासनिक दायित्व एवं अधिकारः—

21.1.1 साधारण सभा द्वारा लिये गये निर्णयों का अनुपालन करना एवं प्रतिवेदन साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।

- 21.1.2 सदस्यता देना व सदस्यता से हटाना।
- 21.1.3 पदाधिकारियों का चयन करना व पदाधिकारियों एवं संचालकों को हटाना।
- 21.1.4 कर्मचारियों की नियुक्ति, पर्यवेक्षण/अनुश्रवण, नियंत्रण एवं हटाना।
- 21.1.5 सेवा नियमों को तैयार करना एवं पंजीयक के अनुमोदन से अमल करना।
- 21.1.6 सेवाओं का चयन एवं सदस्यों को प्रदान कराने हेतु प्रयास।
- 21.1.7 सदस्य समूहों का पर्यवेक्षण।
- 21.1.8 व्यापार परिचालन नियम तैयार करना।

21.2 आर्थिक दायित्व एवं अधिकारः—

- 21.2.1 पूँजी संग्रहण (Fund Mobilization)
- 21.2.2 पूँजी उपयोग (Fund Utilization)
- 21.2.3 पूँजी संरक्षण (Fund Protection)
- 21.2.4 बैंक खाता संचालन।
- 21.2.5 लेखा संधारण।
- 21.2.6 कार्ययोजना निर्माण।
- 21.2.7 पूँजी के उपयोग में पारदर्शिता।
- 21.2.8 आतंरिक अंकेक्षण एवं प्रबंधन।
- 21.2.9 अधिशेष पूँजी प्रबंधन (Surplus Management)
- 21.2.10 घाटा प्रबंधन (Deficit Management)
- 21.2.11 संस्था के लेन-देन पर हुई हानि के निष्पादन हेतु कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी होंगी।
- 21.2.12 ऋण लेना एवं वापस करना।

21.3 विधिक दायित्व व अधिकारः—

- 21.3.1 निर्वाचन — कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल पूर्ण होने के 120 दिवस पूर्व निर्वाचन हेतु प्रस्ताव निर्वाचन प्राधिकारी को जिला कार्यालय के माध्यम से प्रेषित करना।
- 21.3.2 वैधानिक अंकेक्षण करवाना एवं ली गई आपत्तियों का निराकरण।
- 21.3.3 उपविधि के अनुसार कार्यकारिणी समिति एवं साधारण सभा का आयोजन।
- 21.3.4 निर्धारित समय पर पंजीयक को वित्तीय पत्रक एवं पंजीयक द्वारा चाही गई जानकारी प्रस्तुत करना।
- 21.3.5 आवश्यकतानुसार उपविधियों में संशोधन।
- 21.3.6 निरीक्षण प्रतिवेदन।
- 21.3.7 पुस्तकों की व्यवस्था करना एवं प्रबंधन।

21.3.8 कार्यकारिणी समिति द्वारा समस्या निवारण समिति का गठन किया जावेगा। जिसमें अध्यक्ष एवं संचालक मंडल द्वारा चयनित दो संचालक होंगे तथा प्रबंधक सचिव होगा।

21.4 अन्य कर्तव्य अधिकार एवं दायित्व अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के अनुसार होंगे।

उपविधि क्रमांक 22— पदाधिकारियों के दायित्वः

22.1 अध्यक्ष

22.1.1 अध्यक्ष—संस्था में किये जाने वाले समस्त कार्यों के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं संचालन का अधिकार अध्यक्ष का होगा।

22.1.2 अन्य संस्थाओं की बैठकों, कार्यक्रमों में संस्था के प्रतिनिधि निर्वाचित न होने पर प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।

22.1.3 अध्यक्ष—संस्था की कार्यकारिणी एवं साधारण सभा की बैठक में अध्यक्षता।

22.1.4 संस्था प्रतिनिधि के रूप में समस्त विधिक दस्तावेजों में अध्यक्ष प्रथम हस्ताक्षरी होंगे।

22.1.5 संस्था के खाता संचालन में प्रबंधक/सचिव के साथ संचालन होगा।

22.1.6 संस्था की बैठक में सदस्यों द्वारा दो भिन्न पक्षों में बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में अध्यक्ष संस्था के हितार्थ अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा।

22.1.7 लगातार 3 माह से अधिक व्यक्तिगत कारण से संस्था की बैठक में अनुपस्थित रहने की स्थिति में दायित्व निर्वहन हेतु शेष अवधि के लिये नवीन अध्यक्ष का निर्वाचन सहकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

22.1.8 अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यकाल में एक ही बार निरंतर 2 माह तक कार्यकारिणी समिति से अनुमति प्राप्त कर अवकाश लिया जा सकेगा।

22.1.9 कार्यकारिणी समिति की बैठकों का एजेन्डा एवं तिथि का निर्धारण करना।

22.1.10 रोकड़ बही पर हस्ताक्षर करना।

22.1.11 संस्था के बैंक खातों का संचालन सचिव के साथ संयुक्त हस्ताक्षर से करना।

22.1.12 अन्य कर्तव्य अधिकार एवं दायित्व अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के अनुसार होंगे।

उपविधि क्रमांक 23 — सचिव/प्रबंधक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति एवं दायित्व :

23.1 सचिव/प्रबंधक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति राज्य शासन के अनुमोदन से होगी।

23.2 साधारण सभा की बैठक की व्यवस्था एवं आये हुये सदस्यों का स्वागत करना।

23.3 संस्था की पुस्तकों, संपत्ति का प्रबंधन एवं संरक्षण का दायित्व।

- 23.4 प्रत्येक दिन के लेन-देन का प्रबंधन।
- 23.5 कर्मचारियों का पर्यवेक्षण।
- 23.6 अंकेक्षण व आवश्यक प्रतिपूर्ति करना।
- 23.7 संस्था के व्यापार परिपालन नियमों को तैयार कर कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन उपरांत साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।
- 23.8 संस्था के प्रतिनिधि के रूप में लेखा-जोखा करना।
- 23.9 संस्था में मताधिकार हेतु योग्य व अयोग्य सदस्यों की सूची तैयार करना।
- 23.10 संस्था के सदस्यों द्वारा किये गये लेन-देन की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा से अनुमोदित कराने के उपरांत पंजीयक को प्रेषित करना।
- 23.11 संस्था के कोष में वृद्धि हेतु प्रयास एवं पूँजी का प्रबंधन करना।
- 23.12 संस्था की पद मुद्रा, लेटर पेड व अन्य समस्त विधिक दस्तावेज स्वयं के आधीन रखना।
- 23.13 कार्यकारिणी समिति की बैठक पूर्ण होने के 7 दिवस के भीतर एवं साधारण सभा की बैठक पूर्ण होने के 30 दिवस के भीतर बैठक की कार्यवाही विवरण की नकल समस्त उपस्थित सदस्यों को प्रेषित करना।
- 23.14 वार्षिक साधारण सभा बैठक के आयोजन के 30 दिवस के भीतर पंजीयक को कार्यवाही विवरण प्रेषित करना।
- 23.15 अन्य कर्तव्य अधिकार एवं दायित्व अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के अनुसार होंगे।

उपविधि क्रमांक 24— उपाध्यक्ष के कार्य:

संस्था अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था अध्यक्ष द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यों का निर्वहन करना।

उपविधि क्रमांक 25— संस्था संकुल स्तरीय प्राथमिक महिला आजीविका संघ की सदस्यता प्राप्त करेगी।

उपविधि क्रमांक 26— अपराध एवं दण्ड:

मोप्र० सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार होगा—

- 26.1 यदि कार्यकारिणी समिति अथवा पदाधिकारियों द्वारा कोई भी अपराधिक दुष्कृत्य/ कदाचरण/अनुशासनहीनता/नियम विरुद्ध कार्य किया जाता है तो समस्या निराकरण समिति (तदर्थ अथवा स्थायी समिति) उपरोक्त के संबंध में कार्रवाई करेगी।

26.2 कर्मचारी वर्ग द्वारा किये गये किसी भी अपराधिक दुष्कृत्य / कदाचरण / अनुशासनहीनता / नियम विरुद्ध कार्य की जांच हेतु कार्यकारिणी समिति संबंधित समस्या निवारण समिति को निर्देशित कर जांच प्रतिवेदन अनुसार उक्त कर्मचारी के दण्ड का निर्धारण उपविधि अनुसार करेगी। दण्ड के संबंध में अंतिम निर्णय कर्मचारी सेवानियम अनुसन्दर होगा।

उपविधि क्रमांक 27— संस्था में ऋण लेन—देन के संबंध में संस्था एवं उनके सदस्यों के दायित्वः—

27.1 संस्था सदस्यों की ऋण लेन—देन की पात्रता उनके द्वारा संस्था में उनकी कुल बचत, कुल अंश पूँजी एवं अन्य जमा का 25 गुना होगा।

27.2 किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये संस्था—सरकारी, अन्य आर्थिक संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, स्थानीय संस्थाओं, राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय—Funding Agency, विकास एवं वाणिज्य संस्थाओं तथा अन्य विभाग एवं संस्थाओं द्वारा अनुदान, प्रोत्साहन निधी, जमा, अधोसंरचना इत्यादि के रूप में सहयोग से ले सकेगा। परन्तु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से सहयोग शासन की अनुमति से ही लिया जावेगा। संस्था अपने सदस्यों से प्रदत्त अंशपूँजी के 25 गुना तक जमा प्राप्त कर सकती है, किन्तु किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी जमा नहीं लिया जावेगा।

उपविधि क्रमांक 28 — अन्य जमा (Deposits):-

विभिन्न प्रकार की जमा पूँजी पर दिये जाने वाले ब्याज का निर्धारण समय—समय पर कार्यकारिणी समिति में दिया जावेगा।

उपविधि क्रमांक 29 — संस्था की अधिकतम ऋण सीमा:

संस्था कोष में जमा कुल पूँजी (सदस्य प्रवेश शुल्क, अंश पूँजी, अनुदान, बचत, जमा एवं आरक्षित निधी को सम्मिलित कर) ऋण लेन—देन की पात्रता कुल पूँजी के 25 गुना से अधिक नहीं होगा एवं संस्था को यदि कोई क्षति / हानि होने की स्थिति में कुल पूँजी से हानि से प्रभावित हुई राशि को घटा कर शेष पूँजी के 25 गुना तक ही लेन—देन की पात्रता होगी।

उपविधि क्रमांक 30 — सदस्यों की अधिकतम ऋण सीमा:

सदस्यों को संस्था में उपलब्ध कुल पूँजी का 60 प्रतिशत राशि ही ऋण में दी जा सकती, किन्तु उक्त ऋण राशि का अनुमोदन करने से पूर्व संबंधित समूह में संस्था सदस्य के साथ लेन—देन के व्यवहार के अनुपात का आंकलन किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक 31 — ऋण पर ब्याजः

संस्था द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋणों (सी.आई.एफ., वी.आर.एफ. एवं एल.आई.एफ.) पर ब्याज का निर्धारण व्यापार परिचालन नियमानुसार किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक 32 – शुद्ध लाभ का विनियोजन:

साधारण सभा की स्वीकृति से शुद्ध लाभ का वितरण निम्नानुसार किया जायेगा:-

- रक्षित निधि : शुद्ध लाभ का 25 प्रतिशत
- सदस्यों को लाभांशः प्रदत्त पैंजी से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण निधि—5 प्रतिशत
- भवन निधि—
- मुद्रास्फीति निधि—
- संपत्ति विकास निधि—
- कर्मचारी कल्याण निधि—
- प्रोत्साहन निधि—
- सामाजिक गतिविधि निधि—
- घाटा प्रबंधन निधि—
- संपत्ति छास निधि—

संस्था की वार्षिक साधारण सभा द्वारा संस्था में उपरोक्त निधियों का निर्धारण किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक 33— घाटा प्रबंधन:

33.1 कार्यकारिणी समिति के कारण से संस्था का घाटा होने पर समस्त कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से घाटा/हानि का भुगतान वार्षिक साधारण सभा के निर्णय अनुसार करेंगे, अथवा

33.2 घाटा होने वाले वर्ष में सेवाओं के अनुपात में संबंधित सेवाओं का उपभोग करने वाले सदस्यों को भुगतान करना होगा, अथवा

33.3 उपरोक्त दोनों स्थितियों में भी हानि की पूर्ति न होने की दशा में समस्त सदस्यों के व्यक्तिगत खाते से भुगतान किया जावेगा, अथवा

33.4 घाटा प्रबंधन निधि से भी साधारण सभा की अनुमति से भुगतान किया जा सकेगा, अथवा

33.5 इस वित्तीय वर्ष का घाटा इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होगा।

33.6

उपविधि क्रमांक 34— अंकेक्षण:

34.1 वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के 6 माह के भीतर संस्था के वैधानिक अंकेक्षण आमसभा द्वारा नियुक्त सनदी लेखापाल/सहकारिता विभाग के अंकेक्षक से कराना कार्यकारिणी समिति का दायित्व होगा।

34.3 वर्ष में त्रैमासिक आधार पर संस्था के लेखा-जोखा का आंतरिक अंकेक्षण कार्यकारिणी समिति सदस्यों द्वारा किया जावेगा तथा तैयार प्रतिवेदन कार्यकारिणी समिति एवं पदाधिकारियों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

34.4 आंतरिक अंकेक्षक का चयन, दायित्व एवं अधिकार –आंतरिक अंकेक्षक का चयन, दायित्व एवं अधिकारों का निर्धारण संस्था के व्यापार परिचालन नियमावली अनुसार होगा।

उपविधि क्रमांक 35 – संस्था के विघटन की प्रक्रिया

- संस्था के परिसमापन में आने या पंजीयन समाप्त होने की स्थिति में शेष बकायदारों का भुगतान करने के उपरांत शेष संपत्ति अन्य समान उद्देश्य वाली सहकारी संस्था को हस्तांतरित होगी।
- संस्था को यदि सदस्य स्वयं समाप्त करना चाहें तो म0प्र0 सहकारिता अधिनियम 1960 के उपबंध के अनुसार होगा।

उपविधि क्रमांक 36 – संस्था के व्यवहार की भाषा:

- संस्था द्वारा समर्त दैनिक कार्य व्यवहार हेतु हिन्दी भाषा का उपयोग किया जावेगा, अन्य राज्यों की संस्थाओं से कार्य व्यवहार किये जाने हेतु अनुकूल एवं उपयुक्त भाषा का उपयोग किया जावेगा, किन्तु इस संबंध में कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

उपविधि क्रमांक 37 – वित्तीय वर्ष:

- संस्था के वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

उपविधि क्रमांक 38 – पंजीयक को भेजे जाने वाले प्रपत्र/रिटर्न्सः—

प्रत्येक वर्ष वार्षिक साधारण सभा की वार्षिक बैठक के 30 दिवस के भीतर या 31 अक्टूबर तक निम्न वर्णित जानकारी/प्रपत्र पंजीयक को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा:—

38.1 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन।

38.2 अंकेक्षण पालन प्रतिवेदन।

38.3 अंकेक्षित वित्तीय पत्रक।

38.4 इस वर्ष सदस्यता प्राप्त सदस्यों की सूची तथा उनको दिये गये सेवाओं का विवरण।

38.5 संस्था में पदाधिकारियों द्वारा किये गये लेन-देन का विवरण तथा संपूर्ण व्यापार में उनकी भूमिका।

26

38.6 पदाधिकारियों का चयन एवं मताधिकार हेतु अर्ह सदस्यों की सूची।

38.7 विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन।

38.8 साधारण सभा का प्रस्ताव एवं कार्यवाही विवरण।

38.9 अतिरिक्त (Surplus) राशि वितरण, धाटा/हानि प्रबंधन।

38.10 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का नाम व पता।

उपरोक्त समस्त जानकारी निर्धारित समयानुसार प्रेषित करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष एवं सचिव के माध्यम से कार्यकारिणी समिति की होगी, ऐसा न करने की स्थिति में कार्यकारिणी समिति सदस्य पर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

उपविधि क्रमांक 39 – संस्था संचालन हेतु अनिवार्य दस्तावेज़ / प्रपत्रः

39.1 म0प्र0 सहकारिता अधिनियम 1960 की प्रति एवं संशोधन आदेश पत्र।

39.2 संस्था की उपविधि एवं व्यापार परिपालन नियम।

39.3 संशोधित उपविधि।

39.4 प्रस्ताव पुस्तक।

39.5 नगद पुस्तक।

39.6 ऋण पुस्तक।

39.7 सदस्यता पुस्तक, जनरल लेजर, सहायक पुस्तक, स्टाक पुस्तक आदि।

39.8 अधिनियम एवं नियम के प्रावधान अनुसार अन्य पुस्तकें।

उपविधि क्रमांक 40 – विवाद निपटारा:

40.1 संस्था के व्यापार परिचालन नियमों के किसी भी अंश पर विवाद की स्थिति निर्मित होने पर समाधान हेतु साधारण सभा एक 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति का गठन करेगी। इस समिति के सदस्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य नहीं होंगे एवं विवाद निपटारा समिति के सदस्य रहते हुये वे किसी भी पद हेतु निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होंगे। वे किसी भी राजनैतिक पद को धारण नहीं करेंगे। इस समिति के सदस्य पूर्व संस्था पदाधिकारी होंगे, इनका कार्यकाल संचालक मंडल के सहविस्तारी होगा।

40.2 विवाद सहकारी न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व विवेचन हेतु विवाद निपटारा (मध्यस्थता समिति) से समक्ष प्रस्तुत करना होगा, किन्तु विवाद का समाधान न होने पर प्रकरण सहकारी न्यायालय में प्रस्तुत होगा।

40.3 मध्यस्थता समिति के सदस्यों का चयन साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक 41— कर्मचारी:

पंजीयक की स्वीकृति के तहत साधारण सभा के अनुमोदन उपरांत ही कर्मचारियों का चयन हटाया जाना, सेवा शर्तों का निर्धारण किया जावेगा। यथा संभव महिला कर्मचारी का चयन किया जाना ही उपयुक्त होगा। कर्मचारी की सेवाएं कर्मचारी सेवा नियमों में दर्ज नियमानुसार ही निर्धारित होगी।

उपविधि क्रमांक 42— सदस्य की मृत्यु की दशा में शेयरों तथा हित का नाम निर्देशितों के नाम अंतरणः

किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके शेयरों तथा हितों के अंतरण संबंधी कार्यवाहियां मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 26 के अनुसार की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक 43 — अपीलः

संस्था के मध्यस्थता समिति/साधारण सभा/संचालक मण्डल/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव द्वारा जारी किसी आदेश/निर्णय के विरुद्ध संबंधित द्वारा पंजीयक के समक्ष अपील की जा सकेगी जो सहकारी अधिनियम में निर्धारित समयावधि में होना अनिवार्य होगा।

उपविधि क्रमांक 44 — संस्था की मुद्रा:

संस्था की एक संयुक्त मुद्रा होगी जो अध्यक्ष/प्रबंधक के पास रहेगी और जिसका उपयोग संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत अधिकारी कर सकेंगे। किसी लिखित पत्र/दस्तावेज पर, जिस पर यह मुद्रा लगाई जावेगी, संस्था के अध्यक्ष तथा प्रबंधक के अथवा ऐसे पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे, जिन्हें संचालक मण्डल ने इस संबंध में अधिकार दिया हो।

उपविधि क्रमांक 45 — कर्मचारियों के लिए नियम व सेवा शर्तः

पंजीयक के अनुमोदन के अधीन संस्था कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा शर्तों, प्रवास भत्ता, छुट्टी, सेवा निवृत्ति, वेतन या सामान्य भविष्य निधि इत्यादि तथा प्रबंध समिति के सदस्य को देय प्रवास भत्ते आदि के संबंध में नियम बनायेगा।

उपविधि क्रमांक 46 — पंजीकृत पता व संस्था का नाम संप्रदर्शनः

म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 22(1) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर संचालक मण्डल संस्था का डाक का पता पंजीयक को प्रेषित करेगा। नियम 22(3) वर्णित अनुरूप संस्था के पंजीकृत पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना संचालक मण्डल द्वारा पंजीयक को 30 दिन के भीतर दी जावेगी। पंजीकृत पते में प्रस्तावित परिवर्तन पंजीकृत करने के उपरांत ही संशोधित माना जावेगा। संस्था अपने पंजीकृत कार्यालय जहां—जहां यह कारोबार करता है वहां संस्था द्वारा जारी की गई समस्त सूचनाओं एवं अधिकारित प्रकाशनों में, अपनी समस्त संविदाओं पर, कारोबारी पत्रों पर, माल के लिए आदेशों में, बीजक, लेखाओं के विवरण पर और समस्त कारोबारी पत्रों पर संस्था का नाम, पंजीकृत कार्यालय का पता और

‘मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत’ अनिवार्य रूप से लिखेगी।

उपविधि क्रमांक 47— विविधः

- (क) अन्य बातें जिनका उल्लेख इन उपविधियों में न किया गया हो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों की अनुसार की जावेगी।
- (ख) उपविधियों की व्याख्या का अधिकार पंजीयक को होगा। व्याख्या के संबंध में उत्पन्न विवादों पर पंजीयक की राय अंतिम होगी।
- (ग) संस्था के चुनाव मःप्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, उसके अन्तर्गत निर्मित नियम एवं इन उपविधियों के अनुसार कराये जावेंगे।